कार्यालय :— संतोष ठाकुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0)

//दांडिक कार्य विभाजन आदेश//

क्रमांक/क्यू /दां.का.वि./सी0जे0एम0/2022 दुर्ग,दिनाँक 16/08/2022

मैं संतोष ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग (छ0ग0) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1)एवं 15(2) में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला दुर्ग में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दुर्ग के अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभावशील होगा :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	विवरण
01	02	03	04
01	श्री संतोष ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला—दुर्ग	**आरक्षी केन्द्रः— 1— दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) 2—सुपेला (चौकी स्मृति नगर) 3—यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई 4—समस्त आबकारी विभाग**	(1) कॉलम क्रमांक—3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना। (2) नगर निगम दुर्ग एवं भिलाई से नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश सभी दांडिक मामलों, परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस दुर्ग एवं भिलाई द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (5) आरक्षी केन्द्र पाटन, रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर आबंटित थाना तथा थाना

			अमलेश्वरग्रामः— जामगॉव(एम), घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरूवाईनडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना । (6) भिलाई—3 तथा अमलेश्वर, थाना अमलेश्वर के ग्रामः—अमलेश्वर, मटिया,भोथली, मगरघाट,पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर, खम्हरिया,बटंग, भाठागॉव, गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (7) माननीय उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रमांक 5021, तीन 7—7/2005 बिलासपुर दिनाँकः—19.10. 2005 के अनुसार सिविल जिला दुग एवं राजनांदगाँव से उत्पन्नः— (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम—1944, (2) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम—1992, (3) कम्पनी अधिनियम—1956, (4) धनकर अधिनियम—1957, (5) दानकर अधिनियम—1958, (6) आयकर अधिनियम—1961, (7) सीमा शुल्क अधिनियम—1962 (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम—1963, (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम—1964, (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम—1969 (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम—1973 से संबंधित मामलों का

			निराकरण करना। (8) राजस्व जिला दुर्ग के क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना। (9) दुर्ग मुख्यालय के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (10) दुर्ग राजस्व जिला से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र का निराकरण करना। (11) राजस्व जिले दुर्ग के समस्त थानों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (12) दुर्ग राजस्व जिले से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत पेश किए जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (13) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (14) Mines Act 1952, Mines and Minerals Development Act 2015 के तहत परिवाद एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना। (15)माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय समय पर सौंपे गए

			मामलों का निराकरण । (16) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (17) माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन कमांक 8198/(Checker)II-6-2/2020 (MP/MLA) बिलासपुर दिनांक 19 सितम्बर 2020 तथा कार्यालयीन पृष्ठांकन कमांक 2358/एक–10–1/96 दुर्ग दिनांक 28/9/2020 के अनुसार एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (18) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर के नोटिफिकेशन कमांक 10843/Chekar/III -6-3/2021 Bilaspur, Dated 05 September, 2022 के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280 क और काला धन (अप्रकटिक विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 की धारा 84 के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करने के कारण संबंधित मामलों का निराकरण करना । (19) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्राधिकार से उद्‌भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना, (20) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का

			संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (21) आरक्षी केन्द्र दुर्ग (चौकी पदमनाभपुर) तथा थाना सुपेला (चौकी स्मृति नगर) के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना,
02	श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– मोहन नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण

			करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
03	श्री उमेश कुमार उपाध्याय,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– छावनी**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (4)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरणकरना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का

			निराकरण करना।
04	श्रीमती सरोजनी जर्नादन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– महिला थाना**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।

05	कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**समस्त दुर्ग–भिलाई (भिलाई–3 एवं पाटन को छोडकर)**	(1) आरक्षी केन्द्र दुर्ग, छावनी, मोहन नगर, सुपेला, जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, भिलाई नगर, जामुल, भिलाई भटठी, नेवई, पुलगॉव, उतई, महिला थाना,ए.जे.के. थाना, खुर्सीपार, धमधा, बोरी, अण्डा, नंदिनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न धारा 354 एवं 509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (विशेषतः अधिसूचित न्यायालय) (2) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (3) आरक्षी केन्द्र समस्त आबकारी विभाग,जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई, अण्डा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन0 डी0 पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जब्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना ।
06	श्री दिलीसिंह बघेल, न्यायिक स्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– पुलगॉव (चौकी अंजोरा एवं जेवरासिरसा)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			(4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
07	श्री सत्यानंद प्रसाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– उतई**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण

			करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
08	श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– खुर्सीपार**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards

			Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
09	कु. दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– धमधा**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।

			(7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
10	श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– जी.आर.पी. भिलाई (चौकी– चरोदा, दुर्ग)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले

			समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
11	श्री पुनीतराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– भिलाई भटठी**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।

12	श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र – नेवई**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (6) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।
13	कु0 नम्रता नोरगे,	**मातृत्व अवकाश**	

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**पर हैं।**	
14	श्रीमती शीलू केसरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– वैशाली नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।

			(7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
15	श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– जामुल**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण

			करना।
16	कु0 अंकिता मदनलाल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– नंदिनी**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
17	कु0 पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– अण्डा**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354

			व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
18	श्री विवेक नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रे प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– भिलाई नगर**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने

			का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना। (7) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।
19	कु0 अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र– बोरी (चौकी लिटिया)**	(1) कॉलम क्रमांक–3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों (धारा 354 व 509 भा0दं0सं0 के मामलों को छोड़कर) का निराकरण करना, उन

			मामलों को छोड़कर, जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3)आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्गएवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय– समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
20	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,पाटन जिला	**आरक्षी केन्द्र पाटन,रानीतराई, रनचिरई, उतई एवं थाना**	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर ग्रामः– जामगॉव (एम), घुघवा, जमराव, करगा, कोपेडीह, महुदा, उफरा, कापसी, झींठ, खुडमुडा, गुरूवाईनडीह के

	दुर्ग	**जामगॉव (आर) के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा थाना अमलेश्वर**	क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्तआपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना । (7) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
21	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3 जिला दुर्ग	**आरक्षी केन्द्र भिलाई–3, ¨तथा अमलेश्वर**	(1) आबंटित थाना तथा थाना अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली, मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा,मोतीपुर, खम्हरिया,बटंग,भाठागॉव,गभरा,अमलीडीह, कुरूदडीह के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का

			निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आरक्षी केन्द्र भिलाई–3, अमलेश्वर, (अमलेश्वर के ग्रामः–अमलेश्वर, मटिया, भोथली,मगरघाट, पांहदा, ब्राम्हणसॉकरा, मोतीपुर खम्हरिया, बटंग, भाठागॉव,गभरा, अमलीडीह, कुरूदडीह) तथा आरक्षी केन्द्र कुम्हारी से उत्पन्न धारा 354,509 भारतीय दंड संहिता से संबंधित रिमाण्ड, चालान, परिवाद पत्र का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना (6) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन0 डी0 पी0एस0 अधिनियम के तहत जब्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (8) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना।

			(9) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।
22	कु0 अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–3	**आरक्षी केन्द्रः– कुम्हारी**	(1) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। (2) आबंटित थाना क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत उत्पन्न दुकान स्थापना अधिनियम 1958, नापतौल अधिनियम 2011 के तहत् प्रस्तुत समस्तआपराधिक मामलों का निराकरण करना। (3) आबंटित थाना क्षेत्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के मामलों का विधिवत निराकरण करना। (4) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामलों का निराकरण करना। (5) आबंटित थाना क्षेत्रान्तर्गत उदभूत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एन0 डी0 पी0एस0 अधिनियम 1985 के तहत जब्तशुदा सामग्री की इन्वेन्ट्री तैयार करना। (6) आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत Bureau of Indian Standards Act 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक मामलो का निराकरण करना। (7) माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा

			समय–समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना। (8) आबंटित थाना के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परिवाद पत्र का निराकरण करना।

–::– न्यायिक मजिस्ट्रेटो के अनुपस्थिति की दशा में –::–
जिला स्थापना दुर्ग में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थिति पर उनके न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के कार्यो का संपादन/निष्पादन निम्नानुसार किया जाएगा :–
// परिशिष्ट –''ए ''

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य सम्पादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम एवं पद
01	02	03
01	श्री संतोष ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग	1. श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री उमेश कुमार उपाध्याय,न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
02	श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. श्री उमेश कुमार उपाध्याय, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री दिलीसिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
03	श्री उमेश कुमार उपाध्याय,	1. श्री दिलीसिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
04	श्रीमती सरोजनी जर्नादन खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. श्री दिलीसिंह बघेल, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
05	कु0 प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1. श्रीमती सरोजनीजर्नादन खरे,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. श्री उमेश कुमार उपाध्याय, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
06	श्री दिल्ली सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. श्री उमेश कुमार उपाध्याय, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री सरोजनी जर्नादन खरे न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग

07	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु.दीपा सुचिता तिर्की, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.श्री पुनीत राम गुरूपंच, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
08	श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्री सत्यानंद प्रसाद, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती शिवानी सिह,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.श्रीमती शीलू केसरी, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
09	कु.दीपा सुचिता तिकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्रीमती शिवानी सिह,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती शीलू केसरी, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
10	श्री विवेक नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. पायल टोपनो, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
11	श्री पुनीतराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.कु. दीपा सुचिता तिर्की, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती शीलू केसरी, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
12	श्रीमती शिवानी सिह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.कु. पायल टोपनो, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
13	श्रीमती नम्रता नोरगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. पायल टोपनो,,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. कु. अंकिता तिग्गा, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग

14	श्रीमती शीलू केसरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1. कु. दीपा सुचिता तिर्की,,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.श्रीमती सविता सिंह, ठाकुर,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग, 3.कु.पायल टोपनो, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
15	श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, ,न्या.मजि. प्र.श्रे.दुर्ग	1.कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. पायल टोपनो, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
16	कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्रीमती शीलू केसरी, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. अंकिता तिग्गा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.कु. पायल टोपना, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
17	कु. पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्रीमती सविता सिंह, ठाकुर, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 2.कु. अंकिता तिग्गा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
18	श्री द्विविजेन्द्र ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्री विवेक नेताम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. पायल टोपनो, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3. श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
19	कु. अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	1.श्रीमती शीलू केसरी, ,न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2.कु. अंकिता मदनलाल गुप्ता, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग 3.कु. पायल टोपना, न्या.मजि.प्र.श्रे. दुर्ग
20	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई –3 जिला दुर्ग	1.कु. अमिता जायसवाल,न्या.मजि.प्र.श्रे.भिलाई–3 2श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
21	कु. अमिता जायसवाल,	1.श्री पंकज दीक्षित, न्या.मजि.प्र.श्रे.भिलाई–3

	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई –3 जिला दुर्ग	2.श्रीमती शिवानी सिंह, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3.श्री पुनीतराम गुरूपंच, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग
22	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन जिला दुर्ग	1. श्री उमेश कुमार उपाध्याय, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 2. कु. प्रतिभा मरकाम, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग 3. श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्या.मजि.प्र.श्रे.दुर्ग

परिशिष्ट '' बी''

धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ करना

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्री ताजुद्दीन आसिफ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	नेवई, बोरी,
02	श्री उमेश कुमार उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– सुपेला, नंदिनी, पाटन आरक्षी केन्द्र– रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) जामगॉव–आर तथा अमलेश्वर
03	कु. प्रतिभा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	मोहन नगर, महिला थाना
04	श्री दिल्ली सिंह बघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	छावनी, भिलाई नगर,
05	श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	दुर्ग, धमधा जी0आर0पी0 दुर्ग एवं भिलाई
06	श्रीमती शिवानी, सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	जामुल, पुलगॉव, भिलाई भटठी
07	श्री पुनीतराम गुरूपंच, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	वैशाली नगर, अण्डा,ए0जे0के0

08	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– कुम्हारी
09	कु0 अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	आरक्षी केन्द्र– भिलाई–3, अमलेश्वर
10	श्री द्विविजेन्द्र नाथ ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	खुर्सीपार, उतई

परिशिष्ट ''सी''

लैगिंक अपराधो (POCSO ACT) के अपराधों तथा धारा 376 भारतीय दंड संहिता में धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं करना

क्र0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	कु0 दीपा सुचिता तिर्की, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	सुपेला, जी0 आर0 पी दुर्ग एवं भिलाई, पुलगॉव
02	कु0 अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	महिला थाना, छावनी
03	कु0 अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	दुर्ग, खुर्सीपार, भिलाई नगर,
04	श्रीमती सविता सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	वैशाली नगर , बोरी
05	श्रीमती शिवानी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	जामुल, उतई एवं अण्डा, जामगॉव–आर
07	कुं0 पायल टोपनो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	नंदिनी,नेवई मोहन नगर,

08	श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग	धमधा, ए0जे0के0 एवं भिलाई भटटी
09	श्री पंकज दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	कुम्हारी
10	कुं0 अमिता जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिलाई–3 जिला दुर्ग	भिलाई–3, अमलेश्वर
11	श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन	आरक्षी केन्द्र– पाटन रानीतराई तथा रनचिरई एवं उतई के (राजस्व तहसील पाटन के अन्तर्गत उदभूत प्रकरण) तथा अमलेश्वर (समस्त ग्राम)

परिशिष्ट '' डी ''

क्र0		**न्यायिक अधिकारी का नाम**	**न्यायिक अधिकारी का नाम**
01	**02**	**03**	**04**
01	श्री जर्नादन खरे, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग	श्री सत्यानंद प्रसाद, अति. प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग	संतोष ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग

/ / आवश्यक दिशा निर्देश / /

(01) दुर्ग जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन उपरान्त चलित न्यायालय (Mobile

court) लगा सकेंगे।

(02) समस्त थानों के खारिजी प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहॉ प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा खात्मा प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(03) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के **अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य**

व्यवस्था **परिशिष्ट '' ए ''** में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(04) **धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट '' बी '' के अनुसार दर्ज करेंगे ।**

(05) **लैगिंक अपराधो (पाक्सो एक्ट) के तहत धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट '' सी '' के अनुसार दर्ज करेंगे।**

(06) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर पीठासीन अधिकारी को **आबंटित थाना को छोडकर धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कथन एवं संस्वीकृतिया** कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जावेगा।

(07) प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग मे किसी बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट या उक्त बोर्ड के सदस्यों के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने, लिंक कोर्ट में

रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था **परिशिष्ट '' डी''** स्तम्भ क्रमांक–02 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में क्रमानुसार स्तम्भ क्रमांक 2 से 4 तक में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा,।

(08) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(09) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग को एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(संतोष ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग
जिला दुर्ग(छ0ग0)